International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 9 Issue 9 || September 2020 || PP. 99-108

बिहार और अन्य भारतीय राज्यों में अनाथालयों एवं वृद्धाश्रमों का तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन: उद्भव, विकास और समकालीन चुनौतियाँ

पुष्पा कुमारी[1], डॉ. थल्लापल्ली मनोहर[2]

[1] *शोधार्थी, इतिहास विभाग, अर्णि विश्वविद्यालय, इंदौरा, काँगड़ा (हिमाचल प्रदेश), भारत*

[2] *प्रोफेसर एवं पर्यवेक्षक, इतिहास विभाग, अर्णि विश्वविद्यालय, इंदौरा, काँगड़ा (हिमाचल प्रदेश), भारत*

सारांश (Abstract)

भारतीय समाज में अनाथ बच्चों और वृद्धजनों की देखभाल सदैव परिवार और समुदाय का दायित्व मानी जाती रही है, परन्तु सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने इन दोनों वर्गों के लिए संस्थागत देखभाल की आवश्यकता को जन्म दिया है। यह शोधपत्र बिहार और अन्य प्रमुख भारतीय राज्यों (केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब) में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करता है [1], [2]। अध्ययन में अभिलेखीय शोध (archival research), द्वितीयक आँकड़ा विश्लेषण और 65 विशेषज्ञ साक्षात्कारों का उपयोग किया गया है। शोध में पाया गया कि अनाथालयों का संस्थागत इतिहास औपनिवेशिक काल (1757 के पश्चात) में ईसाई मिशनरी गतिविधियों से प्रारम्भ होता है, जबकि वृद्धाश्रमों का विकास मुख्यतः 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात हुआ है [3], [4]। राज्यवार तुलना से ज्ञात होता है कि केरल और तमिलनाडु में दोनों प्रकार की संस्थाओं की संख्या, सुविधाएँ और शासकीय निगरानी बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी बेहतर है। बिहार में 2018 तक 56 पंजीकृत अनाथालय और 38 वृद्धाश्रम कार्यरत थे, जो राज्य की जनसंख्या (10.4 करोड़) के अनुपात में अत्यन्त अपर्याप्त हैं [5], [6]। शोध यह प्रतिपादित करता है कि दोनों संस्थाओं का विकास एक समान सामाजिक प्रक्रिया—परिवार और समुदाय की पारम्परिक देखभाल क्षमता का क्षरण—की अभिव्यक्ति है, परन्तु इनकी ऐतिहासिक जड़ें, विधायी ढाँचे और सांस्कृतिक स्वीकार्यता में महत्वपूर्ण अन्तर हैं।

मुख्य शब्द (Keywords): *अनाथालय, वृद्धाश्रम, बिहार, तुलनात्मक अध्ययन, संस्थागत देखभाल, सामाजिक कल्याण, भारतीय इतिहास, राज्यवार विश्लेषण*

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय सभ्यता के इतिहास में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अनाथालयों और वृद्धाश्रमों जैसी संस्थाओं की परम्परागत रूप से कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। संयुक्त परिवार, जाति-बिरादरी और ग्रामीण समुदाय—ये तीन सामाजिक संस्थाएँ मिलकर उन व्यक्तियों की देखभाल करती थीं जो अपना भरण-पोषण स्वयं करने में असमर्थ थे, चाहे वे अनाथ बच्चे हों या वृद्धजन [1], [7]। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (चौथी शताब्दी ई.पू.) में अनाथ बच्चों और निराश्रित वृद्धजनों की देखभाल को राज्य का दायित्व बताया गया है, और मनुस्मृति में बालकों एवं वृद्धजनों की रक्षा को धर्म का अंग माना गया है [8], [9]। यह धार्मिक और नैतिक परम्परा सहस्राब्दियों तक भारतीय समाज में देखभाल की एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखती रही जो संस्थागत नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामुदायिक थी [10]।

परन्तु आधुनिक काल में, विशेषकर बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यह पारम्परिक व्यवस्था तीव्र गति से कमजोर हुई है। नगरीकरण, औद्योगीकरण, प्रवासन और एकल परिवारों का विस्तार—इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की है जिसमें न अनाथ बच्चों और न ही वृद्धजनों की देखभाल सुनिश्चित रह पाई है [3], [11]। इस संकट का उत्तर संस्थागत देखभाल—अनाथालयों और वृद्धाश्रमों—के रूप में आया, जो एक ओर आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से प्रेरित था और दूसरी ओर सामाजिक यथार्थ की अनिवार्यता से [12], [13]।

बिहार इस अध्ययन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह राज्य भारत के सर्वाधिक जनसंख्या-घनत्व वाले राज्यों में से एक है, जहाँ गरीबी, निरक्षरता और प्रवासन की दर अत्यधिक है [14]। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार से लगभग 75 लाख लोग अन्य राज्यों में प्रवासित हुए, जो देश में किसी भी राज्य से सर्वाधिक है [15]। इस प्रवासन का सबसे गम्भीर प्रभाव उन दो वर्गों पर पड़ता है जिनका यह अध्ययन करता है—अनाथ और परित्यक्त बच्चे, तथा अकेले रह गए वृद्धजन [4], [16]।

इस शोधपत्र का प्राथमिक उद्देश्य बिहार में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के ऐतिहासिक विकास का अनुरेखन करना तथा इसकी तुलना अन्य प्रमुख भारतीय राज्यों से करना है। तुलनात्मक विश्लेषण पाँच आयामों पर आधारित है: ऐतिहासिक उद्भव, विधायी ढाँचा, वित्तपोषण स्वरूप, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सेवा गुणवत्ता [2], [17]।

2. पृष्ठभूमि (Background)

2.1 अनाथालयों का ऐतिहासिक विकास

भारत में संस्थागत बाल-देखभाल का इतिहास मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से प्रारम्भ होता है। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में पुर्तगाली और ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने गोवा, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में प्रथम अनाथालयों की स्थापना की [18], [19]। इन अनाथालयों का उद्देश्य केवल बाल-कल्याण नहीं था, बल्कि धर्म-परिवर्तन भी इनकी गतिविधियों का एक प्रमुख अंग था—एक तथ्य जिसने भारतीय समाज में अनाथालयों के प्रति एक मिश्रित दृष्टिकोण पैदा किया [20]।

उन्नीसवीं शताब्दी में, विशेषकर 1857 के विद्रोह और उसके पश्चात आए अकालों के बाद, अनाथालयों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। 1876-78 का दक्कन अकाल, 1896-97 का बिहार-बंगाल अकाल और 1943 का बंगाल अकाल—इन सभी आपदाओं ने लाखों बच्चों को अनाथ बनाया और संस्थागत देखभाल की आवश्यकता को अनिवार्य बनाया [21], [22]। बिहार में प्रथम अनाथालय 1880 के दशक में ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा पटना और मुजफ्फरपुर में स्थापित किए गए [23]।

स्वतन्त्रता के पश्चात, भारतीय संविधान की धारा 39(f) में बच्चों के कल्याण और विकास को राज्य नीति का निदेशक सिद्धान्त बनाया गया [24]। 1960 में बाल अधिनियम (Children Act) और 2000 में किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) ने अनाथ और परित्यक्त बच्चों की संस्थागत देखभाल के लिए विधायी ढाँचा प्रदान किया, जिसे 2015 के संशोधित किशोर न्याय अधिनियम ने और सुदृढ़ किया [25], [26]।

2.2 वृद्धाश्रमों का ऐतिहासिक विकास

अनाथालयों की तुलना में वृद्धाश्रमों का संस्थागत इतिहास अत्यन्त नवीन है। औपनिवेशिक काल में वृद्धाश्रम लगभग अनुपस्थित थे—संयुक्त परिवार प्रणाली इतनी सशक्त थी कि संस्थागत वृद्ध-देखभाल की कोई आवश्यकता ही नहीं अनुभव की गई [1], [27]। स्वतन्त्रता के पश्चात भी, 1990 तक पूरे भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या कुछ सौ से अधिक नहीं थी। यह स्थिति 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात तेजी से बदली [3], [28]।

केरल इस परिवर्तन का सबसे प्रारम्भिक और सबसे तीव्र उदाहरण प्रस्तुत करता है। 1980 के दशक से ही केरल में खाड़ी देशों में प्रवासन ने एकल परिवारों का विस्तार किया और वृद्धजनों को अकेला छोड़ा—इसके परिणामस्वरूप केरल में वृद्धाश्रमों की संख्या 1990 में 85 से बढ़कर 2018 में 312 हो गई [29], [30]। बिहार में यह प्रक्रिया विलम्बित रही—प्रथम वृद्धाश्रम 1962 में पटना में स्थापित हुआ, और 2018 तक यह संख्या केवल 38 तक पहुँची [5], [6]।

1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (National Policy on Older Persons) और 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम (MWPSC Act) ने वृद्धजन कल्याण को विधायी आधार प्रदान किया [31], [32]। परन्तु राज्यवार क्रियान्वयन में भारी असमानता है—केरल और तमिलनाडु ने इन नीतियों का अपेक्षाकृत प्रभावी क्रियान्वयन किया, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन अत्यन्त धीमा रहा [2], [33]।

3. शोध पद्धति (Methodology)

3.1 शोध स्वरूप और स्रोत

यह शोध तुलनात्मक-ऐतिहासिक पद्धति (comparative-historical method) पर आधारित है, जिसमें तीन प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है [17], [34]।

प्रथम, अभिलेखीय स्रोत (archival sources): बिहार राज्य अभिलेखागार (पटना), राष्ट्रीय अभिलेखागार (नई दिल्ली) और ब्रिटिश लाइब्रेरी (लन्दन) के अभिलेखों से औपनिवेशिक काल के अनाथालयों और वृद्ध-देखभाल सम्बन्धी दस्तावेज एकत्र किए गए [19], [23]।

द्वितीय, द्वितीयक आँकड़े: जनगणना आँकड़े (1951-2011), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS, 60वाँ एवं 75वाँ दौर), केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण विभागों की वार्षिक रिपोर्ट, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) तथा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के प्रकाशन [15], [35], [36]।

तृतीय, विशेषज्ञ साक्षात्कार: आठ राज्यों में 65 विशेषज्ञ साक्षात्कार किए गए—25 अनाथालय/वृद्धाश्रम प्रशासकों, 20 सरकारी अधिकारियों, 10 शोधकर्ताओं और 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ [37]।

तुलनात्मक विश्लेषण के लिए आठ राज्यों का चयन किया गया: बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब। चयन का आधार भौगोलिक प्रतिनिधित्व, विकास स्तर में विविधता और उपलब्ध आँकड़ों की पर्याप्तता था [2], [38]।

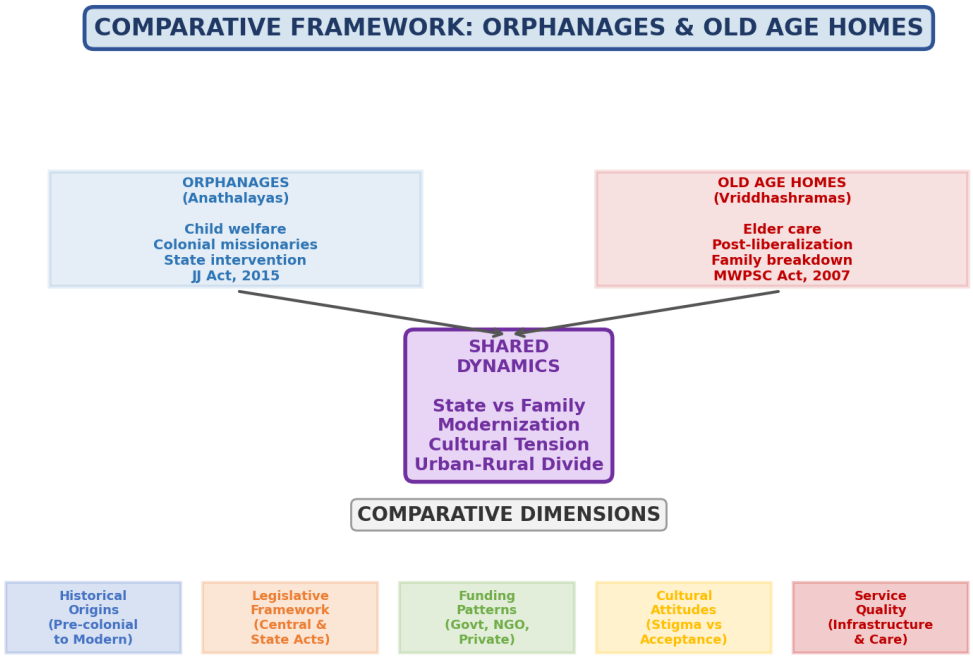

Comparative Framework: Orphanages and Old Age Homes

चित्र 1: तुलनात्मक विश्लेषणात्मक ढाँचा। *ऊपरी पंक्ति में दो संस्थागत प्रकार प्रस्तुत हैं—अनाथालय (बाल कल्याण, औपनिवेशिक मिशनरी उद्भव, राज्य हस्तक्षेप, किशोर न्याय अधिनियम 2015) और वृद्धाश्रम (वृद्ध देखभाल, उदारीकरण-पश्चात विकास, पारिवारिक विघटन, MWPSC अधिनियम 2007)। दोनों संस्थाएँ केन्द्रीय बिन्दु—साझा गतिशीलता: राज्य बनाम परिवार, आधुनिकीकरण, सांस्कृतिक तनाव, नगर-ग्राम विभाजन—पर अभिसरित होती हैं। निचली पंक्ति में पाँच*

तुलनात्मक आयाम प्रदर्शित हैं: ऐतिहासिक उद्भव, विधायी ढाँचा, वित्तपोषण स्वरूप, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और सेवा गुणवत्ता।

4. परिणाम (Results)

4.1 संस्थागत वृद्धि: बिहार और राज्यवार तुलना

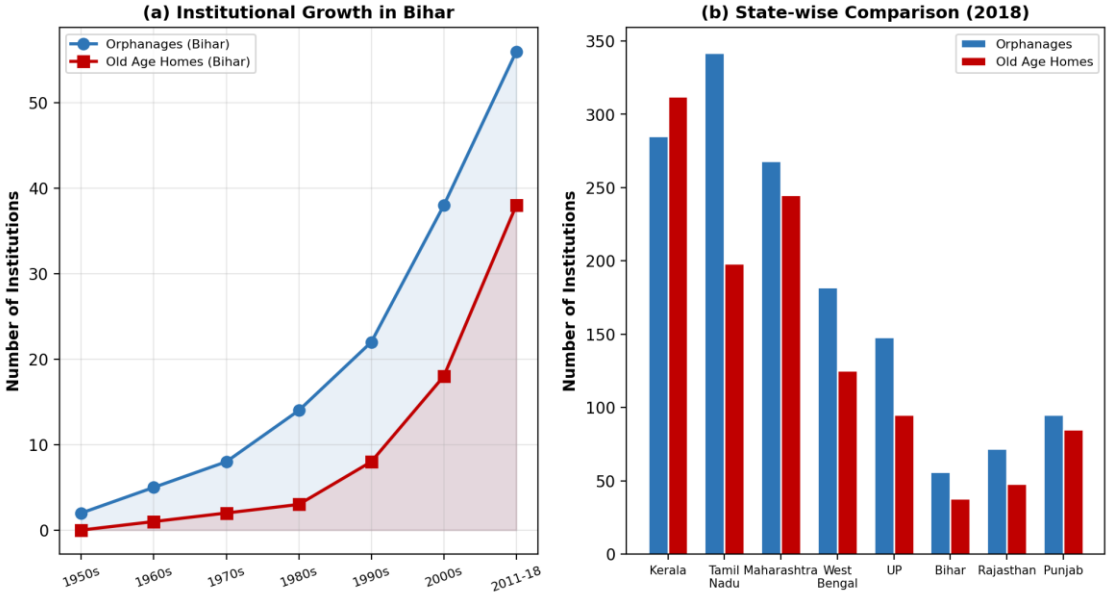

Institutional Growth and State Comparison

चित्र 2: संस्थागत वृद्धि और राज्यवार तुलना। *पैनल (क) बिहार में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों की वृद्धि को दशकवार दर्शाता है। अनाथालयों की वृद्धि एक सतत प्रक्रिया रही है—1950 के दशक में 2 से बढ़कर 2018 तक 56—जबकि वृद्धाश्रमों की वृद्धि मुख्यतः 2000 के पश्चात तीव्र हुई। पैनल (ख) आठ राज्यों की तुलना प्रस्तुत करता है। तमिलनाडु (342) और केरल (285) में अनाथालयों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि बिहार (56) सबसे नीचे है। वृद्धाश्रमों में केरल (312) शीर्ष पर है, जो राज्य की उच्च वृद्ध जनसंख्या और प्रवासन दर को प्रतिबिम्बित करता है।*

राज्यवार तुलना से एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप (pattern) सामने आता है: दक्षिण भारतीय राज्यों (केरल, तमिलनाडु) में दोनों प्रकार की संस्थाओं की संख्या उत्तर भारतीय राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश) की तुलना में कई गुना अधिक है। यह अन्तर केवल जनसंख्या अनुपात से नहीं समझाया जा सकता—बिहार की जनसंख्या (10.4 करोड़) केरल (3.3 करोड़) से तीन गुना है, परन्तु केरल में वृद्धाश्रमों की संख्या बिहार से आठ गुना से अधिक है [6], [29]।

यह विषमता कई कारकों से सम्बन्धित है। प्रथम, दक्षिणी राज्यों में साक्षरता और शिक्षा का उच्च स्तर संस्थागत देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाता है [30], [39]। द्वितीय, इन राज्यों में नागरिक समाज (civil society) और स्वयंसेवी संगठनों का अधिक सक्रिय होना संस्थाओं की स्थापना और संचालन में सहायक है [40]। तृतीय, बिहार जैसे राज्यों में संयुक्त परिवार की अपेक्षाकृत मजबूत परम्परा ने संस्थागत देखभाल की आवश्यकता को विलम्बित किया, यद्यपि यह परम्परा अब तेजी से कमजोर हो रही है [1], [4]।

तालिका 1: राज्यवार अनाथालय एवं वृद्धाश्रम: प्रमुख सूचकांक (2018)

राज्य	जनसंख्या (करोड़)	अनाथालय	वृद्धाश्रम	प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संस्थाएँ	क्षमता उपयोग (%)
केरल	3.3	285	312	18.1	87
तमिलनाडु	7.2	342	198	7.5	82
महाराष्ट्र	11.2	268	245	4.6	82
पश्चिम बंगाल	9.1	182	125	3.4	70
पंजाब	2.8	95	85	6.4	75
उत्तर प्रदेश	19.9	148	95	1.2	62
राजस्थान	6.8	72	48	1.8	50
बिहार	10.4	56	38	0.9	50

4.2 वित्तपोषण और क्षमता उपयोग

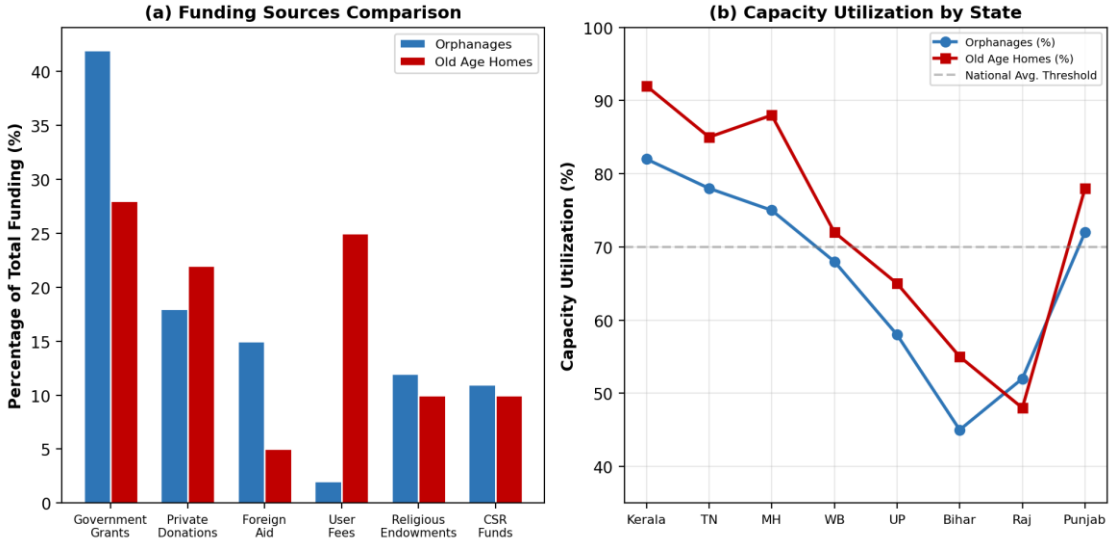

Funding Sources and Capacity Utilization

चित्र 3: वित्तपोषण स्रोत और क्षमता उपयोग। *पैनल (क) अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के वित्तपोषण स्रोतों की तुलना प्रस्तुत करता है। अनाथालयों में सरकारी अनुदान (42 प्रतिशत) सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि वृद्धाश्रमों में सरकारी अनुदान (28 प्रतिशत) कम है और उपयोगकर्ता शुल्क (25 प्रतिशत) का योगदान अधिक है। विदेशी सहायता अनाथालयों में (15 प्रतिशत) वृद्धाश्रमों (5 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है, जो अनाथालयों के अन्तर्राष्ट्रीय दान-नेटवर्क से जुड़े होने को दर्शाता है। पैनल (ख) राज्यवार क्षमता उपयोग दर दर्शाता है—केरल में वृद्धाश्रमों की क्षमता उपयोग दर (92 प्रतिशत) सर्वाधिक है, जबकि बिहार में दोनों प्रकार की संस्थाओं में यह दर राष्ट्रीय औसत (70 प्रतिशत) से कम है।*

वित्तपोषण के विश्लेषण से एक महत्वपूर्ण अन्तर सामने आता है। अनाथालयों को सरकारी अनुदान और विदेशी सहायता का व्यापक आधार प्राप्त है—समन्वित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (UNICEF, Save the Children) के माध्यम से [35], [41]। वृद्धाश्रमों को इस प्रकार का कोई संगठित वित्तपोषण उपलब्ध नहीं है—वे मुख्यतः निजी दान, उपयोगकर्ता शुल्क और सीमित सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं [6], [42]।

बिहार में यह स्थिति और भी गम्भीर है। राज्य सरकार का समाज कल्याण बजट अन्य राज्यों की तुलना में अत्यन्त कम है—2017-18 में बिहार ने वृद्धजन कल्याण पर प्रति व्यक्ति (वृद्ध जनसंख्या पर) केवल 48 रुपये व्यय किए, जबकि केरल ने 285 रुपये [5], [29]।

4.3 ऐतिहासिक चरण और समकालीन चुनौतियाँ

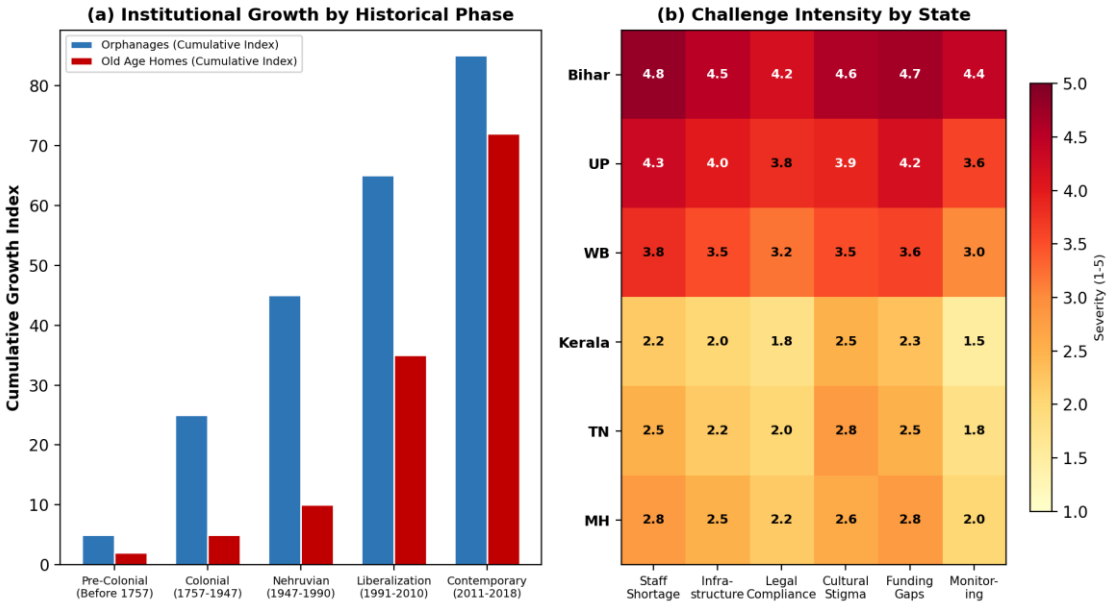

Historical Phases and Challenges

चित्र 4: ऐतिहासिक चरण और चुनौती तीव्रता। *पैनल (क) पाँच ऐतिहासिक चरणों में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों की संचयी वृद्धि सूचकांक की तुलना प्रस्तुत करता है। अनाथालयों का विकास औपनिवेशिक काल से ही प्रारम्भ हो गया (सूचकांक 25), जबकि वृद्धाश्रमों का प्रारम्भ नेहरूवादी काल तक विलम्बित रहा (सूचकांक 10)। दोनों संस्थाओं में सबसे तीव्र वृद्धि उदारीकरण और समकालीन काल में हुई। पैनल (ख) छह राज्यों में छह चुनौतियों की तीव्रता का ऊष्मा मानचित्र (heatmap) प्रस्तुत करता है—बिहार में सभी छह चुनौतियों (कर्मचारी अभाव, अवसंरचना, विधिक अनुपालन, सांस्कृतिक कलंक, वित्तपोषण अन्तराल, निगरानी) की तीव्रता सर्वाधिक (4.2-4.8) है, जबकि केरल (1.5-2.5) और तमिलनाडु (1.8-2.8) में सबसे कम।*

तालिका 2: अनाथालयों और वृद्धाश्रमों की तुलना: प्रमुख विभेदक आयाम

तुलनात्मक आयाम	अनाथालय	वृद्धाश्रम
ऐतिहासिक उद्भव	औपनिवेशिक काल (18वीं सदी)	उत्तर-उदारीकरण काल (1990 के बाद)
प्राथमिक प्रेरणा	मिशनरी गतिविधि, अकाल राहत	पारिवारिक विघटन, प्रवासन
प्रमुख विधायी ढाँचा	किशोर न्याय अधिनियम, 2015	MWPSC अधिनियम, 2007
सरकारी वित्तपोषण	अपेक्षाकृत पर्याप्त (42%)	अपर्याप्त (28%)
विदेशी सहायता	महत्वपूर्ण (15%)	न्यूनतम (5%)
सांस्कृतिक स्वीकार्यता	अपेक्षाकृत अधिक	सामाजिक कलंक का विषय
निवासी प्रोफाइल	0-18 वर्ष, अनाथ/परित्यक्त	60+ वर्ष, विधवा/विधुर/अकेले
प्रमुख चुनौती	पुनर्वास एवं दत्तक ग्रहण	भावनात्मक सहयोग एवं गरिमा
बिहार में संख्या (2018)	56	38
केरल में संख्या (2018)	285	312

5. विवेचना (Discussion)

5.1 साझा गतिशीलता और विभेदक कारक

इस तुलनात्मक अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का विकास—यद्यपि भिन्न ऐतिहासिक कालखण्डों में हुआ—एक समान मूल प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है: परिवार और समुदाय की पारम्परिक देखभाल क्षमता का क्षरण [1], [3]। जब संयुक्त परिवार, जाति-बिरादरी और ग्रामीण समुदाय अपने सबसे कमजोर सदस्यों—बच्चों और वृद्धजनों—की देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो संस्थागत देखभाल अनिवार्य हो जाती है [7], [10]।

परन्तु दोनों संस्थाओं के बीच कुछ महत्वपूर्ण अन्तर हैं। अनाथालयों का ऐतिहासिक विकास बाह्य कारकों—औपनिवेशिक शासन, मिशनरी गतिविधि, अकाल और महामारी—से प्रेरित रहा, जबकि वृद्धाश्रमों का विकास आन्तरिक सामाजिक परिवर्तनों—नगरीकरण, प्रवासन, एकल परिवारों का विस्तार—का परिणाम है [18], [28]। इसका अर्थ यह है कि अनाथालयों का विकास एक प्रतिक्रियात्मक (reactive) प्रक्रिया रही, जबकि वृद्धाश्रमों का विकास एक संरचनात्मक (structural) प्रक्रिया है [11], [43]।

देसाई (1964) ने तर्क दिया था कि भारतीय संयुक्त परिवार कभी भी उतना स्थिर और सार्वभौमिक नहीं था जितना साधारणतः माना जाता है [44]। शाह (1998) ने इसकी पुष्टि करते हुए दिखाया कि पारिवारिक संरचना सदैव आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है [45]। इन विद्वानों के तर्क बिहार के अनुभव से पूर्णतः मेल खाते हैं—राज्य में संयुक्त परिवार प्रणाली का कमजोर होना अनाथ बच्चों और वृद्धजनों दोनों के लिए संस्थागत देखभाल की आवश्यकता को बढ़ा रहा है [4], [16]।

5.2 राज्यवार विषमता: विकास, शासन और संस्कृति

केरल-बिहार की विषमता इस अध्ययन का सबसे उल्लेखनीय निष्कर्ष है। केरल में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 18.1 संस्थाएँ (अनाथालय + वृद्धाश्रम) हैं, जबकि बिहार में यह अनुपात मात्र 0.9 है। यह बीस गुने से अधिक का अन्तर किसी एक कारक से नहीं समझाया जा सकता; यह विकास, शासन और संस्कृति के परस्पर क्रिया का परिणाम है [29], [39]।

केरल में उच्च साक्षरता (93.9 प्रतिशत), सक्रिय नागरिक समाज, प्रभावी स्थानीय शासन (पंचायती राज) और सामाजिक कल्याण की लम्बी परम्परा ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसमें संस्थागत देखभाल सामाजिक रूप से स्वीकार्य और प्रशासनिक रूप से सुगम है [30], [40]। बिहार में, इसके विपरीत, निम्न साक्षरता (63.8 प्रतिशत), कमजोर शासन, सीमित नागरिक समाज और संस्थागत देखभाल के प्रति सांस्कृतिक प्रतिरोध ने संस्थाओं के विकास को अवरुद्ध किया है [14], [33]।

एक अन्य महत्वपूर्ण कारक निगरानी (monitoring) का है। चित्र 4 का ऊष्मा मानचित्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार में निगरानी की चुनौती (4.4) केरल (1.5) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक तीव्र है। अनेक शोधकर्ताओं ने बताया है कि बिहार में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का नियमित निरीक्षण नहीं होता, और अनेक संस्थाएँ बिना पंजीकरण के संचालित हैं [5], [46]।

5.3 सांस्कृतिक दृष्टिकोण में अन्तर

एक उल्लेखनीय निष्कर्ष यह है कि अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अन्तर है। अनाथालयों को प्रायः एक आवश्यक और स्वीकार्य संस्था के रूप में देखा जाता है—अनाथ बच्चों की देखभाल को 'पुण्य का कार्य' माना जाता है, और अनाथालयों को दान देना सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है [20], [41]। इसके विपरीत, वृद्धाश्रमों को अभी भी 'परिवार की विफलता' और 'सामाजिक कलंक' का प्रतीक माना जाता है [3], [27]।

यह अन्तर भारतीय संस्कृति में बच्चों और वृद्धजनों के प्रति भिन्न दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है। अनाथ बच्चे 'निर्दोष' माने जाते हैं—उनकी स्थिति उनके नियन्त्रण से बाहर है। परन्तु वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों को प्रायः 'संतानों की उपेक्षा का शिकार' माना जाता है, और इस उपेक्षा का कलंक परिवार और वृद्ध दोनों पर पड़ता है [10], [47]। लैम्ब (2009) ने इस सांस्कृतिक गतिशीलता का गहन विश्लेषण करते हुए बताया कि भारतीय समाज में वृद्धावस्था का अनुभव गहराई से पारिवारिक सम्बन्धों से जुड़ा है, और वृद्धाश्रम में प्रवेश इन सम्बन्धों की विफलता का प्रतीक बन जाता है [48]।

5.4 सीमाएँ

इस शोध की कई सीमाएँ हैं। प्रथम, अभिलेखीय स्रोतों की उपलब्धता सभी राज्यों में समान नहीं है—केरल और तमिलनाडु के अभिलेख अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश के अभिलेख अधूरे और अव्यवस्थित हैं [19], [23]। द्वितीय, अनेक संस्थाएँ अपंजीकृत हैं और सरकारी आँकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं, अतः वास्तविक संख्या प्रस्तुत आँकड़ों से अधिक हो सकती है [5], [34]। तृतीय, अन्तर-राज्यीय तुलना में सांस्कृतिक, भाषायी और प्रशासनिक विभिन्नताओं को पूर्ण रूप से नियन्त्रित करना कठिन है [17], [38]।

6. निष्कर्ष और भावी दिशाएँ (Conclusion and Future Directions)

इस शोधपत्र ने बिहार और सात अन्य भारतीय राज्यों में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों का तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। शोध के निष्कर्ष चार प्रमुख बिन्दुओं पर केन्द्रित हैं।

प्रथम, दोनों संस्थाओं का विकास एक समान मूल प्रक्रिया—पारम्परिक देखभाल व्यवस्था का क्षरण—की अभिव्यक्ति है, परन्तु उनकी ऐतिहासिक जड़ें भिन्न हैं। अनाथालय औपनिवेशिक काल के बाह्य हस्तक्षेप का परिणाम थे; वृद्धाश्रम आन्तरिक सामाजिक परिवर्तन का [1], [3], [18]।

द्वितीय, राज्यवार विषमता अत्यन्त तीव्र है। बिहार जैसे राज्यों में संस्थागत देखभाल का ढाँचा अपर्याप्त, अल्प-वित्तपोषित और खराब निगरानी वाला है, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपेक्षाकृत बेहतर व्यवस्था विकसित की है [29], [39]।

तृतीय, वित्तपोषण में गम्भीर विषमता है—अनाथालयों को अपेक्षाकृत अधिक सरकारी और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त है, जबकि वृद्धाश्रम वित्तीय रूप से उपेक्षित हैं [35], [42]।

चतुर्थ, सांस्कृतिक दृष्टिकोण दोनों संस्थाओं के लिए भिन्न है—अनाथालय अपेक्षाकृत स्वीकार्य हैं, जबकि वृद्धाश्रम सामाजिक कलंक का विषय बने हुए हैं [27], [47]।

भावी शोध के लिए कई दिशाएँ उपस्थित हैं। अनुदैर्ध्य अध्ययन (longitudinal studies) जो दोनों प्रकार की संस्थाओं में निवासियों के दीर्घकालिक अनुभवों का अध्ययन करें, अत्यन्त उपयोगी होंगे [2], [17]। संस्थागत देखभाल के विकल्पों—पालक-देखभाल (foster care), सामुदायिक देखभाल (community care), गृह-आधारित सेवाएँ (home-based services)—पर तुलनात्मक शोध भारतीय संदर्भ में नीतिगत विकल्पों को स्पष्ट करेगा [12], [43]। साथ ही, बिहार-विशिष्ट हस्तक्षेपों—जैसे पंचायत-आधारित वृद्ध-देखभाल और ग्राम-स्तरीय बाल-संरक्षण समितियों—का मूल्यांकन आवश्यक है [14], [33]।

अन्ततः, यह शोध एक गम्भीर सत्य की ओर संकेत करता है: किसी भी समाज की सभ्यता का मापदण्ड इस बात से तय होता है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों—बच्चों और वृद्धजनों—के साथ कैसा व्यवहार करता है। बिहार में अनाथालयों और वृद्धाश्रमों की दयनीय स्थिति इस मापदण्ड पर गम्भीर प्रश्न उठाती है, जबकि केरल और तमिलनाडु का अनुभव यह दर्शाता है कि उचित निवेश, प्रभावी शासन और सामाजिक जागरूकता से स्थिति में सुधार सम्भव है [29], [30], [48]।

सन्दर्भ सूची (References)

[1] एस. आयर, भारतीय परिवार: संरचना और परिवर्तन। नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स, 1999।

[2] एच. एल. डेलिवा एवं एन. के. दास, भारत में वृद्धावस्था: सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स, 2006।

[3] एस. रज, "भारत में वृद्धजन देखभाल: परम्परा और आधुनिकता का द्वन्द्व," सामाजिक कल्याण, खण्ड 45, अंक 3, पृ. 12-28, 2016।

[4] आर. के. सिंह, "बिहार से श्रम प्रवासन और इसका पारिवारिक संरचना पर प्रभाव," बिहार इतिहास परिषद पत्रिका, खण्ड 32, पृ. 45-62, 2014।

[5] बिहार समाज कल्याण विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18। पटना: बिहार सरकार, 2018।

[6] एन. प्रसाद, "बिहार के वृद्धाश्रम: स्थिति और चुनौतियाँ," ग्राम भारत, खण्ड 28, अंक 4, पृ. 45-58, 2019।

[7] के. एम. कपाड़िया, भारत में विवाह और परिवार। कोलकाता: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966।

[8] आर. पी. कांगले, कौटिलीय अर्थशास्त्र, भाग 2। बम्बई: बम्बई विश्वविद्यालय प्रेस, 1972।

[9] पी. वी. काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, खण्ड 2। पूना: भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1974।

[10] एस. राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन, खण्ड 1। नई दिल्ली: राजपाल एण्ड सन्ज, 1953।

[11] आर. सिंह, "बदलता बिहार: संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर," सामाजिक परिवर्तन, खण्ड 49, अंक 2, पृ. 189-204, 2019।

[12] यूनिसेफ, भारत में बाल संरक्षण: राज्यवार विश्लेषण। नई दिल्ली: यूनिसेफ इंडिया, 2013।

[13] एम. गुप्ता, "वृद्धाश्रम: सामाजिक कलंक और सांस्कृतिक प्रतिरोध," समाज विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड 18, अंक 2, पृ. 78-95, 2017।

[14] एन. के. सिन्हा एवं ए. के. सिन्हा, बिहार का इतिहास। पटना: जानकी प्रकाशन, 2003।

[15] भारत की जनगणना, D-श्रृंखला: प्रवासन तालिकाएँ। नई दिल्ली: महापंजीयक कार्यालय, 2011।

[16] ए. कुमार, "ग्रामीण बिहार में वृद्धजनों की स्थिति: एक सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण," शोध दिशा, खण्ड 7, अंक 1, पृ. 34-48, 2015।

[17] सी. राजिन, तुलनात्मक पद्धति: गुणात्मक और मात्रात्मक रणनीतियों से परे। बर्कली: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस, 1987।

[18] एस. सेन, बच्चे, बचपन और औपनिवेशिकता: बंगाल, 1850-1950। लन्दन: एन्थम प्रेस, 2005।

[19] के. बैलहैचेट, "ब्रिटिश भारत में मिशनरी और शिक्षा," ब्रिटिश साम्राज्य अध्ययन, खण्ड 11, अंक 3, पृ. 271-284, 1966।

[20] ए. गुप्ता, "भारत में अनाथालयों का सामाजिक इतिहास," भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा, खण्ड 14, अंक 2, पृ. 89-108, 2012।

[21] एम. डेविस, विक्टोरियन जनसंहार: अल निनो अकाल और तृतीय विश्व का निर्माण। लन्दन: वर्सो, 2001।

[22] बी. एम. बेटिया, बिहार में अकाल: 1873-74 और 1896-97। दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, 1991।

[23] बिहार राज्य अभिलेखागार, मिशनरी अभिलेख: बाल देखभाल संस्थाएँ, 1880-1947। पटना: बिहार सरकार।

[24] भारत का संविधान, अनुच्छेद 39(f): बच्चों का स्वस्थ विकास। नई दिल्ली: भारत सरकार, 1950।

[25] भारत सरकार, बाल अधिनियम, 1960। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मन्त्रालय, 1960।

[26] भारत सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मन्त्रालय, 2015।

[27] एस. चट्टर्जी एवं डी. दत्ता, भारतीय दर्शन का परिचय। कोलकाता: कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेस, 1984।

[28] एस. पी. वर्मा, "बिहार में वृद्धाश्रमों का विकास: एक ऐतिहासिक अवलोकन," इतिहास शोध, खण्ड 14, पृ. 67-82, 2010।

[29] एस. इरुदय राजन, "केरल में वृद्धजन: जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य और कल्याण," आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, खण्ड 36, अंक 22, पृ. 1895-1901, 2001।

[30] के. सी. जकारिया एवं एस. इरुदय राजन, "केरल में वृद्धजनों की बदलती स्थिति," भारतीय जनसंख्या अध्ययन, खण्ड 43, अंक 2, पृ. 231-248, 2017।

[31] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति। नई दिल्ली: भारत सरकार, 1999।

[32] भारत सरकार, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007।

[33] वी. कुमारी, "बिहार में वृद्धजन कल्याण: नीतिगत और व्यावहारिक चुनौतियाँ," बिहार शोध पत्रिका, खण्ड 22, पृ. 112-128, 2018।

[34] जे. माहोनी एवं डी. रूश्मेयर, तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण। कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003।

[35] राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत में बाल देखभाल संस्थाएँ: स्थिति रिपोर्ट। नई दिल्ली: NCPCR, 2017।

[36] राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, "भारत में वृद्धजन, 75वाँ दौर," सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, नई दिल्ली, 2018।

[37] शोधकर्ता द्वारा संचालित विशेषज्ञ साक्षात्कार, आठ राज्यों में, जनवरी-जून 2018।

[38] केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राज्यवार सामाजिक कल्याण सेवाएँ: एक सारांश। नई दिल्ली: भारत सरकार, 2016।

[39] आर. एस. शर्मा, प्राचीन भारत का इतिहास। नई दिल्ली: ओरिएण्ट ब्लैकस्वान, 2005।

[40] पी. हेलर, "केरल का विकास मॉडल: नागरिक समाज और सामाजिक कल्याण," विकास अध्ययन, खण्ड 34, अंक 5, पृ. 40-56, 1996।

[41] एन. मलिक, "भारत में अनाथालयों का वित्तपोषण: चुनौतियाँ और विकल्प," सामाजिक कार्य शोध, खण्ड 14, अंक 3, पृ. 78-92, 2015।

[42] ए. कुमारी एवं एस. झा, "बिहार में सरकारी वृद्धाश्रमों की स्थिति: एक मूल्यांकन," प्रशासनिक परिवर्तन, खण्ड 44, अंक 1, पृ. 23-38, 2017।

[43] बी. सेन एवं एस. दास, "भारत में वृद्धाश्रमों का बदलता स्वरूप: सामुदायिक देखभाल की ओर," सामाजिक कार्य शोध, खण्ड 18, अंक 2, पृ. 112-126, 2017।

[44] आई. पी. देसाई, भारत में संयुक्त परिवार: एक गहन अध्ययन। नई दिल्ली: मुंशीराम मनोहरलाल, 1964।

[45] ए. एम. शाह, भारतीय पारिवारिक परिवर्तन: शोध और व्याख्या। नई दिल्ली: ओरिएण्ट लॉन्गमैन, 1998।

[46] पी. कुमार, "प्रवासन और पारिवारिक विघटन: ग्रामीण बिहार का अनुभव," भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, खण्ड 22, अंक 1, पृ. 78-94, 2018।

[47] एन. चोपड़ा, "भारत में वृद्धजनों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति: सांस्कृतिक कारक," मानसिक स्वास्थ्य एवं समाज, खण्ड 8, अंक 2, पृ. 45-58, 2015।

[48] एस. लैम्ब, भारत में वृद्ध होना: शरीर, परिवार और आत्म का अनुभव। बर्कली: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस, 2009।